

**Chief Minister's Information System**  
**Suraj Sankalp 2013 (Manifesto)**

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Description	Action Taken By Dept	Status
1	Suraj Sankalp Manifesto 2013 1.16.1-प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाकर विकास की पंचवर्षीय योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी।	वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य भारत सरकार के प्लान प्लस साफ्टवेयर पर आम जन के लिये उपलब्ध है।	Implemented
2	Suraj Sankalp Manifesto 2013 10.31-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाए जाने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर पंचायत स्तरीय स्थापना समिति का गठन किया जाएगा जिससे पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के प्रबोधन (Monitoring) पूर्ण अधिकार मिल सके।	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 55-क(1) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा स्थायी समिति का गठन किया हुआ है जो कार्य कर रही है।	Implemented
3	Suraj Sankalp Manifesto 2013 22.16-स्वायत्तशाषी संस्थाओं में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए राज्य वित्त अयोग की अनुशंसाओं को समय समय पर लागू किया जाएगा।	राज्य वित्त आयोग (पंचम) के गठन की अधिसूचना दिनांक 31/05/2015 को जारी। आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। पंचायतीराज विभाग द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।	Implemented
4	Suraj Sankalp Manifesto 2013 23.16-भाजपा का मानना है कि ग्रामीण भारत में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शुद्ध पेयजल की कमी संविधान प्रदत्त मानवीय जीवन की गरिमा के	ग्रामीण स्वच्छता और शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु श्री योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है, जिसमें सेनीटेशन, हैल्थ, ग्रामीण सड़क, उर्जा एवं शिक्षा से संबंधित गतिविधियों पर फोकस किया जा चुका है।	Implemented

**Chief Minister's Information System**  
**Suraj Sankalp 2013 (Manifesto)**

Sr. No.	Announcement Description	Action Taken By Dept	Status
	विरुद्ध है। हम इस सुराज संकल्प पत्र के माध्यम से वादा करते हैं कि सरकार उन योजनाओं को प्राथमिकता देगी जो ग्रामीण स्वच्छता और शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु प्रभावी रूप से कार्य करे।		
5	Suraj Sankalp Yatra 28.20-बरनावा, लाडनूं में प्रथम वरियता के आधार पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायेंगे।	ग्राम पंचायत भरनावा, पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम वासियों द्वारा निम्न दो मूलभूत समस्याओं का ज्ञापन प्रस्तुत किया : 1.ग्राम भरनावा में ग्राम में सडक जर्जर हालत में। 2.ग्राम पंचायत भरनावा के ग्राम हुडास में बरसात का पानी भर जाता है, निकासी चाहिए। बिन्दु संख्या 2 के संबंध में ग्राम पंचायत भरनावा के ग्राम हुडास में बोर हाल करवाकर समस्या का समाधान कर दिया गया है। बिन्दु संख्या 1 के संबंध में ग्राम भरनावा में निम्न चार सडके हैं जो कि अच्छी स्थिति में हैं एवं कोई समस्या नहीं है - नेशनल हाईवे 65, भरनावा से रोजा, भरनावा से सोडास एवं भरनावा से शमशान घाट तक।	Implemented
6	Suraj Sankalp Manifesto 2013 3.02 - पूरे प्रदेश में गोचर भूमि के संरक्षण, सीमांकन तथा यथासंभव इनके संरक्षण व वैज्ञानिक प्रबंधन (Scientific Management) हेतु समयबद्ध कार्य योजना अनुसार कार्य किया जाएगा।	जिले में जिला कलक्टर के माध्यम से संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य योजना बनाकर समस्त गोचर भूमि का सीमांकन का कार्य करवाने, सीमांकन के दौरान पाये जाने वाले अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र दिनांक 04.09.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही गोचर भूमि के संरक्षण के लिए मेडबन्दी, पेड लगाने, आदि के कार्य नरेगा योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं।	Continue Nature
7	Suraj Sankalp Manifesto 2013 6.01 - ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन किए जाने हेतु आयोग बनाया जाएगा।	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुर्नगठन का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 5.11.2014 को अधिसूचना जारी कर कार्य सम्पन्न कर दिया गया है।	Implemented

**Chief Minister's Information System**  
**Suraj Sankalp 2013 (Manifesto)**

Sr. No.	Announcement Description	Action Taken By Dept	Status
8	Suraj Sankalp Manifesto 2013 6.02 - प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई एवं रोशनी हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।	राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों ने अपने वित्तीय संसाधनों की स्थिति एवं आवश्यकता अनुसार सफाई कार्य हेतु सफाई कार्मिक को लगाया जाकर सफाई का कार्य कराया जाता रहा है जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1200 सफाई कार्मिक कार्य कर रहे हैं जिन्हें दिनांक 1.08.1998 को ग्राम पंचायतों द्वारा दिये जा रहे मानदेय के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा इन कार्मिकों को वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है। विभागीय पत्र दिनांक 14.08.14 द्वारा सम्पूर्ण सफाई की व्यवस्था टी एफ सी/ एस एफ सी मद से वहन करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।	Implemented
9	Suraj Sankalp Manifesto 2013 6.05 - ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को स्टेट ग्रांट एक्ट्स के प्रावधानों के अनुसार आवासीय पट्टे प्रदान करवाए जाएंगे।	ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को आवासीय पट्टे दिए जाने का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में मौजूद है अतः स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	Implemented
10	Suraj Sankalp Manifesto 2013 6.12 - पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाये जाने बाबत विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.10.2017 द्वारा निम्नानुसार वृद्धि कर दी गयी है :-	पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाये जाने बाबत विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.10.2017 द्वारा निम्नानुसार वृद्धि कर दी गयी है :- जिला प्रमुख जिला परिषद के 9000 हजार रुपये से बढ़ा कर 10000 हजार रुपये प्रतिमाह प्रधान पंचायत समिति के 6000 हजार रुपये से बढ़ा कर 7000 हजार रुपये प्रतिमाह सरपंच ग्राम पंचायत के 3500 हजार रुपये से बढ़ा कर 4000 हजार रुपये प्रतिमाह जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत किया जायेगा।	Implemented